

SHRI S. JAIPAL REDDY: You please suspend the Question Hour... (Interruptions).

SHRI YASHWANT SINHA: You suspend the Question Hour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let a motion be moved. There is no motion before the House. How can I do that?

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

उपसभापति : इस संबंध में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन अवर शुरू हो गया है मैं कोई इजाजत नहीं दे रही हूँ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं सब से अनुरोध करता हूँ कि क्वेश्चन अवर जारी रहना चाहिए। कोई और बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अवर की बात होनी चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी प्रश्नकाल आता है इस तरह की बातें उठती हैं, ठीक हैं उठती हैं लेकिन जायज रूप से उठनी चाहिए। गम्भीर मामला है। तब भी मैं सभी माननीय सदस्यों से, चाहे हमारे दल के हों, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, उनसे अनुरोध करता हूँ कि उनका सबसे बड़ा हक है प्रश्नकाल इसलिए इसकी बराबर इस तरह से हत्या न की जाए। मैं अनुरोध करता हूँ कृपया जो प्रश्नकाल का समय है उसे प्रश्नकाल में ही रहने दें दूसरे मसले न उठायें। मेरा यह भी अनुरोध है कि जो विजनेस एडवाइजरी कमटी में नेता हैं सभी ने यह बात समझी थी... (व्यवधान)

उपसभापति : होम मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया है कि जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होगा, 45 मिनट रह गये, वह यहाँ हाऊस के सामने बात रखेंगे। इसलिए अगर शांति

के साथ क्वेश्चन अवर चलने दीजिए, 45 मिनट की बात है।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : हम भी यही कह रहे हैं।

उपसभापति : क्वेश्चन नं. 141

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957

*141. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating any changes in the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957, to allow foreign participation in mineral development; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) and (b) The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, at present allows foreign participation in equity upto 40 per cent of the paid up share capital in public companies engaged in mining or mineral development.

The position is being reviewed in the context of the recent liberalisation in industrial and trade policies of the Government.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: My first supplementary is that the answer given by the Minister conceals more than it reveals.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is that your supplementary?

SHRI MENTAY PADMANABHAM: The Government proposes to amend the Mines and Minerals Act by allowing equity participation by foreign companies by more than 40 per cent. Till now they are allowed to participate up to 40 per cent. I would like to know from the Minister whether the Government proposes to impose any optimum limit for foreign participation in mining and mineral sector. This is a simple question.

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, जो प्रश्न किया गया है उसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि अभी तक जो फारन पार्टिसिपेशन है वह 40 परसेंट तक है। अनुभव जो रहा है वह अनुभव विभाग का और सरकार का यह रहा है कि एम.एम.आर.डी. एक्ट में स्कोप बढ़ाने पर और इस लिमिट को बढ़ाने पर विचार चल रहा है और वह इसलिए चल रहा है कि 40 प्रतिशत तक जो पार्टिसिपेशन हमने किया है उसमें कोई भी विदेशी कम्पनी या कोई भी व्यक्ति बढ़कर आगे नहीं आया है। इसलिए सरकार विचार कर रही है कि बदले हुए हालात में हम और इसको आगे बढ़ायें।

SHRI MENTAY PADMANABHAM: He did not answer my question. I wanted to know whether he was going to fix any optimum limit, say, 51 per cent 60 per cent.....

उपसभापति : उन्होंने कहा कि कोई आया ही नहीं तो लिमिट क्या होगी।

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, यह प्रश्न अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। यह शासन के विचाराधीन है, सरकार के विचाराधीन है। इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा कि हम कहां तक इस लिमिट को फिक्स करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is under consideration. This matter is under consideration. They have not decided about the limit. That is what he says. Now, you put your second supplementary.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, I have here with me the 'Financial Express'. It carries the Minister's statement given on July 8. I would read out just one or two sentences. It says:

"The Mineral Policy shall also endeavour at encouraging inflow of foreign investment to increase the level of self-sufficiency in various base metals and strategic minerals and also give a boost to export..."

Therefore, according to this statement which I have just quoted, the Government is thinking of allowing foreign participation in the case of strategic minerals also. Madam, this is a very serious matter. If foreign participation is allowed in the case of strategic minerals, it would have a bearing on our defence potential, on our defence preparedness. Therefore, may I know from the hon. Minister whether the proposed legislation to amend the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act would debar foreign participation in regard to strategic minerals like Thorium, etc.?

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे देश में पाये अवश्य जाते हैं, लेकिन हमारी जो टेक्नोलोजी है और हमारे पास जो साधन हैं उनकी कमी होने की वजह से सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हम उन बेस मेटल्स के बारे में, जैसे कोपर है, कोपर में हमारी जो डिमांड है उसका 40 परसेंट ही हम पूरा कर पाते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से बेस मेटल्स और अन्य मेटल्स के बारे में विचार चल रहा है। कोई चीज फाइनल अभी नहीं हुई है... (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, my question was in regard to strategic minerals, not base metals.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, his question is not about Copper or some other normal

metal. It is about the strategic minerals which are used for defence purposes, like Thorium, etc.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Like Zirconium.

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, ये थोरियम इत्यादि हमारे देश में बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं। इसलिए इस इस के ऊपर विचार हो रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अंतिम रूप से सरकार क्या निर्णय लेगी। इसलिए यह बात जो प्रेस में आई है, इस पर विचार चल रहा है। अगर कोई चीज हमारे देश में नहीं है, चाहे वह स्ट्रेटेजिक मेटल ही क्यों न हो, हमारे पास टेक्नोलोजी नहीं है, हमारे पास भंडार है और अगर हम बाहर से कहीं से टेक्नोलोजी ला सकें, उसका एक्सप्लोयटेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उन तमाम बिन्दुओं पर सरकार विचार करेगी।

श्री मातंग सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या आप एम.एम.आर.डी. एक्ट में कोई संशोधन करने जा रहे हैं ताकि विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिल सके।

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, एम.एम.आर.डी. एक्ट के बारे में विचार चल रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जो 1990 की मिनरल या खनिज नीति है और उसके बाद 1991 में जो औद्योगिक नीति आई, जो वाणिज्य नीति आई, व्यापार नीति आई, उसके अनुरूप उसको बनाने की आवश्यकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी प्रदेश सरकारें जो हैं वे मांग कर रही हैं कि उनके कुछ अधिकार बढ़ाये जायें। इसलिये जो माइनिंग इंडस्ट्री हैं उसको बढ़ावा देने के लिये जो प्राप्ति लाइसेंस हैं, माइनिंग डीइस हैं, उसका समय भी बढ़ाने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही माइनिंग सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो रेड टेपिज्म है या जो प्रोसीजियरल डिलेज है, इसको सरल करने के लिए

भी हम सोच रहे हैं, यह मामला भी विचाराधीन है। इसलिये ओवरहाल इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है।

SHRI DAVID LEDGER: Madam Deputy Chairman, I am given to understand that there is a proposal with the Government to bring about dereservation of a number of minerals in this country. May I know from the hon. Minister, through you Madam, what are these minerals which the Government proposes to dereserve and what are the reasons for considering such a proposal?

श्री बलराम सिंह यादव : महोदया, ये जो 13 खनिज हैं, जिनको डीरिजर्व करने के लिये सरकार विचार कर रही है। ये हैं लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क जिप्सम, सल्फर, हीरा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, मोलीब्डेनम आदि। इनको डीरिजर्व करने का मुख्य कारण यह है कि हमारे पास, हमारी सरकार के पास या हमारे डिपार्टमेंट के पास बजटो सपोर्ट नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जिन मेटल्स में हमारी आपूर्ति जो अंदरूनी खपत है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये फारेन इनवेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए, चाहे एन०आर०आई० हो या चाहे फारेन कंपनियां हों, जो यहां इनवेस्ट कर सकें, विदेशी टेक्नोलोजी ला सकें यह हमारी कोशिश है ताकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। इसलिये सरकार इसके डीरिजर्वेशन पर विचार कर रही है।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माइनिंग इंडस्ट्री, जैसा कि हम सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन मुझे इस सदन में कई बार मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि वर्ष 1991-92 में माइनिंग के विकास का जो कार्य है वह जीरो ग्रोथ पर आ गया है, जब कि पहले यह 10 प्रतिशत पर था। तो क्या

सरकार ने इस बात पर विचार किया है ? मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि आखिर इस इंडस्ट्री की यह दुर्दशा क्यों हो रही है और उनके कारणों पर विचारविमर्श करने के बाद क्या नयी पालिसी में एम०एम०आर०डी० ऐक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं ? उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये जिनके कारण इस माइनिंग इंडस्ट्री को इस दुर्दशा में आना पड़ा और इसकी औद्योगिक 10 प्रतिशत से घटकर जीरो प्रतिशत पर आ गयी है और अगर ऐसा ही रहा तो है 1992-93 में शायद यह माइनम में जा सकती है। यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि विदेशी लोगों को आमंत्रित करने के लिये, विदेशी इनवेस्टमेंट को यहां पर लगाने के लिये कानून में कुछ परिवर्तन करने पर आप विचार कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में चाहे आप यूरेनियम ले लीजिये, और भी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ले लीजिये, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के उद्यमी आज ऐसी अवस्था में है कि वे मिनरल्स को प्रोसेस कर सकते हैं, वह मिनरल्स को एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं, वे मिनरल्स का एक्सपोर्ट, या उसका निर्यात कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं तो फिर आपको ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है, या ऐसे ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जिनको स्पेसिफिकली आपको विदेशी सहायता की जरूरत है या जिनके लिये विदेशी फर्मों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है।

श्री बलराम सिंह यादव : महोदय, यह कोई आवश्यक नहीं है कि विदेशी भागीदारी हो। इस संबंध में अगर आज किसी देशी उद्यमी के पास टेक्नालाजी है, वह इनवेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले उसका स्वागत निश्चित रूप से किया जायेगा। इसलिये आप यह न सोचें देशी लोग जो हैं, देशी उद्यमी जो हैं उनको इग्नोर किया जायेगा और

बाहर के लोगों को लाया जायेगा। बात असल में यह है कि अगर टेक्नालाजी हमारे पास है तो हम उसका पूरा उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे किसी मिनरल्स में टेक्नालाजी नहीं है, उमंग एक्सप्लोरेशन की, तो उस दिशा में हमको बाहर से भी उसका स्वागत करना पड़ेगा।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति महोदय, मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मुझे नहीं मिला है (व्यवधान) मेरा पहला प्रश्न था (व्यवधान)

उपसभापति : उन्होंने आपके प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया था।
... (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : आपका प्रश्न नहीं भाषण था ... (व्यवधान)...

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Madam Deputy Chairman, through you I would like to know from the hon. Minister, (a) where this journey from privatization to nationalisation and from nationalisation to multinationalisation will lead to and whether this journey is worth it and whether it will not prove that we are incapable of running our own affairs; (b) with the sea-change in working conditions and industrial environ and official wrangles, whether the Government are sure that foreign companies will succeed in managing the mines and minerals of our country. and, (c) whether adequate safeguards have been stipulated before handing over our mines and minerals to foreigners to ensure that they are not detrimental to our country's overall interests.

श्री बलराम सिंह यादव : महोदय, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता
... (व्यवधान) ...

उपसभापति : जवाब दे चुके हैं
I think I shall move to another question. Question No. 142... (Interruptions)...

हैं ही नहीं। क्वेश्चन पूछने वाले नहीं आये हैं। चीटिंग कर गये और चले गये। चीटिंग का सवाल था, चीट कर गये।

*142. [The questioner (Shri Santosh Kumar Sahu) was absent. For answer vide col. 39-40 infra].

ओलम्पिक के लिए तैयारी

*143. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 6 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अनारक्षित प्रश्न 1455 के दिये गये उत्तर को देखते और यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत द्वारा आयामी ओलम्पिक में कितने-कितने खेलों में भाग लिये जाते की संभावना है; और

(ख) क्या उनके लिये कोई तैयारी की जा रही है; यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

विवरण

भारत वैज्ञानिक, मुक्तेबाजी, हाकी, टेनिस, टेबल टेनिस, निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, पाल-नौकायन, एथलेटिक्स तथा जूडो में 12 खेलों में भाग ले रहा है। तैयारी पूरे जोर से चल रही है। हाल ही के महीनों में सत्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा चुके हैं तथा संघों के अनुरोध पर खिलाड़ियों को भारत में अथवा विदेशों में प्रशिक्षण-व-प्रतियोगिता के अवसर प्रदान किये गये हैं ताकि वे खेलों में अपना प्रदर्शन बेहतर बना सकें। हाल ही के महीनों में टीमों को प्रदान किये गये प्रमुख प्रशिक्षण शिविरों और प्रमुख विदेशी प्रदर्शनों की सूची संलग्न है। इससे अतिरिक्त, यहां संघों द्वारा अनुरोध किय गया, टीमों को आवश्यक उपस्कर सहायत उपलब्ध कराई गई है।

सूची

खेल विद्या का नाम	भारत में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों का विवरण	भारत/विदेशों में प्रदान किये गये प्रशिक्षण सह प्रतियोगिताएं
1	2	3
टेबल टेनिस	1-2-92 से 25-2-92 1-3-92 से 25-3-92 16-4-92 से 30-4-92 25-6-92 में त्रान्गिगोला ओलम्पिक्स में प्रस्थान होने तक।	27 फरवरी से 1 मार्च, 1992 तक किगाटा, सिटी, जापान में 25वें ओलम्पिक शिखर खेलों के टेबल टेनिस एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेना।
टेनिस	कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया गया। अर्हता प्राप्त खिलाड़ी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं चैम्पियनशिपों में भाग लेते रहे थे।	1. ए०ई०सी० द्वारा 12 से 17 मई 92 में मनीला में आयोजित विश्व कप की एशिया क्षेत्र स्पर्धा में 3 सदस्यीय टीम का भाग लेना। 2. श्री लीयंडर प्यूस का भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण